सं0 1570/नेडा-एसई-फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट/2025-26
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
दिनांक: 30 जुलाई, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के बांधों/जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु शासनादेश सं0 372/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2024 दिनांक 14.03.2024 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त के क्रम में निवेशको को बांधो/जलाशयों के आवंटन हेतु प्रक्रिया कार्यालय-ज्ञाप सं0 4021/नेडा-एसई-फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट/2023-24 दिनांक 28.03.2025 द्वारा निर्धारित की गयी है।

उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4 में निवेशको को बांधो/जलाशयों के आवंटन हेतु लीज दर की दो श्रेणियाँ प्राविधानित हैं — निजी क्षेत्र के निवेशकों हेतु रू. 15000.00 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष तथा सार्वजनिक उपक्रमों हेतु रू. 1.00 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष।

अतः निवेशको की श्रेणी को स्पष्ट करने के उद्देश्य से एवं उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022, शासनादेश दिनांक 14.03.2024 एवं मानक संचालन प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28.03.2025 में निम्नवत संशोधन किये जाते हैं:-

क्र0 सं0	प्रस्तर	विद्यमान प्रावधान	(संशोधित) प्रावधान
1.	प्रस्तर 1(i) — निवेशक की परिभाषा	अ. सार्वजनिक उपक्रम – केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन। ब. अन्य उपक्रम – निजी क्षेत्र, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रमों, इत्यादि।	अ. सार्वजनिक उपक्रम – I. केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन उपक्रम । II. केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन उपक्रम की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी। III. केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा उनके अधीन उपक्रमो अथवा उनके अधीन उपक्रमों की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कम्पनियों के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम। ब. अन्य उपक्रम – निजी क्षेत्र ।

2- सार्वजनिक उपक्रम की परिभाषा में किये गये उपरोक्त संशोधन के आलोक में संबंधित एसओपी को तद्नुसार संशोधित माना जायेगा तथा एसओपी के समस्त संगत प्रावधानों का पठन, व्याख्या एवं अनुप्रयोग सार्वजनिक उपक्रम की संशोधित परिभाषा के अनुरूप किया जायेगा।

3- उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, शेष प्राविधान यथावत होंगे।

RL Singh
(रविन्द्र सिंह)
निदेशक, यूपीनेडा।

सं0 एवं दिनांक तदैव:
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, अति0ऊ0स्रो0 विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रबंध निदेशक, यूपीपीटीसीएल।
4. प्रबंध निदेशक, यूपीपीसीएल।
5. समस्त वरिष्ठ परियोजना अधिकारी-2/परियोजना अधिकारी/परियोजना प्रभारी, यूपीनेडा।
6. गार्ड फाईल।

RL Singh
(रविन्द्र सिंह)
निदेशक, यूपीनेडा।